न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुनिता मीणा आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 28/2025

1. भैरूराम देगडा पुत्र हनुमान लाल जाति जाट निवासी ढाणी बोराज तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

वादी

बनाम

1. उच्छव कंवर पत्नि भवानी सिंह जाति राजपूत
2. कमला कंवर पत्नि कानसिंह जाति राजपूत
3. जस कंवर पुत्री भंवानी सिंह जाति राजपूत
4. दिलीपसिंह पुत्र पेफसिंह उर्फ प्रेमसिंह जाति राजपूत
5. नरपत सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत
6. नाथूसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत
7. भंवरकंवर पत्नि प्रेमसिंह उर्फ पेफसिंह जाति राजपूत
8. भास्करसिंह खंगारोत पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत
9. मनीषा कंवर पुत्री मोहनसिंह जाति राजपूत
10. रामसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत
11. रीना कंवर पुत्री मोहनसिंह जाति राजपूत
12. विनोद कंवर पत्नि मोहनसिंह जाति राजपूत
13. सज्जनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत
14. हरेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत
15. हिम्मतसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत

समस्त निवासीयान ढीण्ढा तहसील जोवनेर जिला जयपुर राज0

16. एचडीएफसी0 बैंक लि0 शाखा सांभरलेक जरिये प्रवंधक– नाम हजफ
17. एचडीएफसीबैंक लि0 शाखा फुलेरा जरिये प्रबंधक
18. बैंक ऑफ इंडिया शाखा फुलेरा जरिये प्रबंधक– नाम हजफ
19. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा फुलेरा जरिये प्रबंधक– नाम हजफ
20. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

उपस्थित :– 1. श्री लक्ष्मीनारायण कलवानियां अधिवक्ता वादी
2. श्री रामावतार सिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांक :– 16 / 07 / 2025

निर्णय

वादी द्वारा वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया गया है कि वादी व प्रतिवादी सं01ल015 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 244/6 रकबा 0.9104 है0, ख0न0 251 रकबा 1.3277 है0, ख0न0 253 रकबा 1.4162 है0, ख0न0 254 रकबा 1.1001 है0, ख0न0 255/4 रकबा 1.5427 है0, ख0न0 265/2 रकबा 1.3277 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 7.6248 है0 जो वाकै ग्राम ढीण्ढा, पटवार हल्का ढीण्ढा भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तह0 जोबनेर, जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमे वादी का 1/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार दर्ज है इसी प्रकार प्रतिवादी सं01ल015 के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार हिस्सा दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। एवं हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

वादी व प्रतिवादी सं01 ल015 के मध्य आपसी सहमति से पारस्परिक सहमति से विभाजन किया हुआ है। जिसके अनुसार मनबट के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर मौके पर अपने अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा वादी ने अपने हिस्से को उन्नत व विकसित कर रखा है। वादी ने प्रतिवादी सं01 ल015 को वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन करवाने के लिए कई बार कहा किन्तु प्रतिवादी सं01 ल015 वादी को आश्वस्त करते रहे कि समय मिलने पर मौके के कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करवा लेगे। किन्तु प्रतिवादी सं01 ल015 ने वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन नही करवाया। जिसके कारण वादी को अपने हक व हिस्से की भूमि की सीवं डोल कायम करने व उन्नत व विकसित करने मे भारी परेशानियो का सामना करना पडता है। कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करवाने के लिए कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी आश्वासन देते रहे कि अपना सबका कब्जा काश्त तो है इसलिए आपको क्या परेशानी है विभाजन करवा लेगे। वादी ने प्रतिवादीगण से बार बार निवेदन किया परन्तु आज तक मौके कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन नही करवाया गया। प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से कोई स्पष्ट जवाब नही दिया। वादीगण ने दिनांक 31/05/2024 को प्रतिवादी सं01 ल04 को उक्त अराजियात का मौके कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण 1 ल04 ने साफ इंकार कर दिया। वादी मौके कब्जे व हिस्से के अनुसार रास्ता दर्शाते हुये उक्त आराजियात का विभाजन करवाना चाहता है। ताकि पक्षकारो के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन नही है विभाजन नही होने की वजह से

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

पक्षकारो के मध्य आये दिन सीवमेर का विवाद होता रहता है। जिसकी वजह से पक्षकारो के मध्य आपसी मनमुटाव व झगड़ा विवाद होने की संभावना रहती है। इसलिए वादी को यह वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण 1ल0 15 वाद बाबत विभाजन को डिकी फरमाया जाकर वाद पत्र के मद नं01 मे वर्णित आराजी ख0न0 244/6 रकबा 0.9104 है0, ख0न0 251 रकबा 1.3277 है0, ख0न0 253 रकबा 1.4162 है0, ख0न0 254 रकबा 1.1001 है0, ख0न0 255/4 रकबा 1.5427 है0, ख0न0 265/2 रकबा 1.3277 है0, किता 6 कुल रकबा 7.6248 है0 जो वाकै ग्राम ढीण्ढा, पटवार हल्का ढीण्ढा भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है, को मौके कब्जे के अनुसार रास्ता दर्शाते हुये वादी व प्रतिवादी सं0 1ल0 415 के मध्य विभाजन किया जाकर नक्शे कुरेजात मंगवाये जाकर दावा अंतिम डिकी फरमाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए तथा जवाब इस आशय का पेश किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 15 वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन करवाने के लिए तैयार व तत्पर है जो मौके के अनुसार विभाजन किये जाने में मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतवादी संख्या 17 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिसके कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने दावे में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया है। तथा वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र प्राथमिक डिक्री करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

हमने बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। विवादित आराजी ख0न0 244/6 रकबा 0.9104 है0, ख0न0 251 रकबा 1.3277 है0, ख0न0 253 रकबा 1.4162 है0, ख0न0 254 रकबा 1.1001 है0, ख0न0 255/4 रकबा 1.5427 है0, ख0न0 265/2 रकबा 1.3277 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 7.6248 है0 जो वाकै ग्राम ढीण्ढा, पटवार हल्का ढीण्ढा भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तहसील जोबनेर में स्थित है। उक्त विवादित भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार खातेदार है। वाद पत्र में वर्णित आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी तकास्मा नहीं हुआ है जबकि आपसी सहमति से काश्त की सुविधा से हिस्सा मुताबिक बाहमी बंटवारा हो रखा है। इसलिए वादी मौके कब्जे अनुसार विभाजन करवाने की अधिकारी है। अतः दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

दावा वादी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में वर्णित आराजी ख0न0 244/6 रकबा 0.9104 है0, ख0न0 251 रकबा 1.3277 है0, ख0न0 253 रकबा 1.4162 है0, ख0न0 254 रकबा 1.1001 है0, ख0न0 255/4 रकबा 1.5427 है0, ख0न0 265/2 रकबा 1.3277 है0, कित्ता 6 कुल रकबा 7.6248 है0 वाकै ग्राम ढीण्ढा, पटवार हल्का ढीण्ढा भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तहसील जोबनेर में दिनांक 30.04.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया।

प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.2025 की पालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 20.06.2025 को कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत किये गये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा वादी का वाद दिनांक 20.06.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद दिनांक 20.06.2025 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद मुताबिक कुरेजात दिनांक 20.06.2025 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

वाकै ग्राम ढीण्ढा

क.स	नाम खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म	
1	दिलीप सिंह पुत्र पेफसिंह उर्फ प्रेमसिंह हि0 1/2 कमला कंवर पत्नि कानसिंह हि0 1/4 हिम्मत सिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 1/12 रामसिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 1/12 उच्छब कंवर पत्नि मवानी सिंह हि0 1/12 जाति राजपूत सा0देह खातेदार	A/251 कित्ता– 01	0.1518 0.1518	बारानी 2	
2	भैरूराम देगडा पुत्र हनुमान लाल हि0 1/16, जाति जाट सा0 ढाणी बोराज तह0 जोबनेर राहिन हि0 1/16 पूर्ण खाता एचडीएफसी बैंक फुलेरा दिलीप सिंह पुत्र पेफ सिंह उर्फ प्रेमसिंह हि0 1/4 भंवर कंवर पत्नि प्रेमसिंह उर्फ पेफसिंह हि0 1/4 कमला कंवर पत्नि कानसिंह हि0 1/12 विनोद कंवर पत्नि मोहन सिंह हि0 1/12 नाथूसिंह पुत्र कानसिंह हि0 1/12 हिम्मत सिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 1/16 रामसिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 1/16 उच्छब कंवर पत्नि मवानी सिंह हि0 1/16 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	B/251 A/253 A/254 A/255/4 कित्ता– 04	0.0830 0.0414 0.0190 0.0390 0.1824	बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2	
3	भैरूराम देगडा पुत्र हनुमान लाल हि0 पूर्ण, जाति जाट सा0 ढाणी बोराज तह0 जोबनेर राहिन हि0 पूर्ण खाता एचडीएफसी बैंक फुलेरा	C/251 कित्ता– 01	0.4651 0.4651	बारानी 2	
4	हिम्मत सिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	D/251 कित्ता– 01	0.4524 0.4524	बारानी 2	

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

5	रामसिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	E/251 B/253	0.1754 0.2770	बारानी 2 बारानी 2	
		किता– 02	0.4524		
6	कमला कंवर पत्नि कानसिंह हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	E/253 B/254	0.0251 0.5573	बारानी 2 बारानी 2	
		किता– 02	0.5824		
7	नाथूसिंह पुत्र कानसिंह हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	C/254 B/255/4	0.5238 0.0965	बारानी 2 बारानी 2	
		किता– 02	0.6203		
8	भंवर कंवर पत्नि प्रेमसिंह उर्फ पेफसिंह हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	244/6 C/255/4	0.9104 0.9502	बारानी 2 बारानी 2	
		किता 02	1.8606		
9	दिलीप सिंह पुत्र प्रेमसिंह उर्फ पेफसिंह हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	265/2 D/255/4	1.3277 0.4570	बारानी 2 बारानी 2	
		किता 02	1.7847		
10	उच्छब कंवर पत्नि भवानी सिंह हि0 951/4524 जस कंवर पुत्री भवानी सिंह हि0 1191/4524 भास्कर सिंह खंगारोत पुत्र भवानी सिंह हि0 1191/4524 सज्जन सिंह पुत्र भवानी सिंह हि0 1191/4524 जाति राजपूत सा0देह खातेदार	C/253	0.4524	बारानी 2	
		किता 01	0.4524		
11	विनोद कंवर पत्नि मोहन सिंह हि0 1119/6203 नरपत सिंह पुत्र मोहनसिंह 1271/6203 हरेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह 1271/6203 रीना कंवर पुत्री मोहन सिंह 1271/6203 मनीषा कंवर पुत्री मोहन सिंह 1271/6203 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	D/253	0.6203	बारानी 2	
		किता 01	0.6203		

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात दिनांक 20.06.2025 राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 20.06.2025 निर्णय का भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर

(सुनिता मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर